

संख्या : 1992/1-10-2011-12(34)/2011

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

२०-१
२०६/०७/११

सेवा में,

जिलाधिकारी

लखीमपुरखीरी / मुजफ्फरनगर / फरुखाबाद / कांशीराम नगर /
उन्नाव / गौतमबुद्ध नगर / गोण्डा / सिद्धार्थनगर / कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक ०६ जुलाई, 2011

विषय : वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के
पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि **रु० 8,65,00,000/-** (रुपये आठ करोड़ पैंसाठ लाख मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क० सं०	जनपद का नाम	सन्दर्भ/पत्रांक	मद	धनराशि (लाख रु० में)
1.	लखीमपुर खीरी	13/क्षति-परि०-आ वंटन/10-11/दै० आ०लि० दिनांक 11.04.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	60.00
2.	मुजफ्फर नगर	अ०शा०पत्र०सं० 940 दिनांक 11.05.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	150.00
3.	फरुखाबाद	अ०शा०पत्र०सं०-345 5/57 दिनांक 04.05.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	15.00
4.	कांशीराम नगर	1123/कैम्प दिनांक 18.04.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	10.00
5.	उन्नाव	65/सी०आर०ए०/स परि०धना०(2010-11) दिनांक 19.05.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	150.00

6.	गौतमबुद्ध नगर	1222 / सी0आर0ए0 / 2011-12 दिनोंक 17.06.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	50.00
7.	गोण्डा	324 / दैवी आपदा / अवस्थापना / 2011 दिनोंक 25. 06.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	150.00
8.	सिद्धार्थ नगर	89 / राहत लिपिक / 2011-12 दिनोंक 16.06.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	250.00
9.	कुशीनगर	778 / 23-1-11 दिनोंक 06.04.2011	सार्वजनिक सम्पत्तियों	30.00
कुल योग				865.00

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष 2010 में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण / पुनर्स्थापना / मरम्मत मद में धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या-3253 / 1-10-2008-12(73) / 2008, दिनोंक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. जिलाधिकारी आवंटित धनराशि को सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यदायी संस्थाओं यथा जिला पंचायत, नगर निगम, ग्रामीण अभियन्ता सेवा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि की भी परियोजनाओं के सापेक्ष धनराशि निर्गत करना सुनिश्चित करें।

5. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश संख्या- जी.आई. -134 / 1-11-2007-46 / 97, दिनोंक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश संख्या-3253 / 1-10-2008-12(73) / 2008, दिनोंक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा।

6. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वर्ष 2010 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन इस धनराशि से नहीं किया जायेगा।
8. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः क्षति के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2012 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।
9. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-1922 (1) / 1-10-2011-12(34) / 2011, तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/लखीमपुर/मुजफ्फरनगर/फर्रुखाबाद/कांशीरामनगर/उन्नाव/गौतमबुद्धनगर/गोण्डा/सिद्धार्थनगर/कुशीनगर।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेब साइट के उपयोगार्थ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(21/05/11)

(राजेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव,